

विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर

प्रश्न

09- (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के राजाजीपुरम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभप्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन सं0-3132241079 के साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को कितने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं?

(ख) क्या आवेदनकर्ताओं को उक्त लाभ प्रदान कर दिया गया है?

(ग) यदि हाँ, तो कब तथा उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनपद-लखनऊ के राजाजीपुरम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व0 सतेन्द्र के ऑनलाइन आवेदन-पत्र (रजिस्ट्रेशन सं0-3132241079) के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 3031 आवेदन-पत्र जनपद में प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व0 सतेन्द्र के ऑनलाइन आवेदन-पत्र (रजिस्ट्रेशन सं0-3132241079) का पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिस्पॉन्स प्राप्त होने के पश्चात जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर धनराशि रु0 30,000/- लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में सफलतापूर्वक हस्तान्तरित कर दी गयी है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त 3031 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 1991 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। 428 आवेदन-पत्रों की जाँचोपरान्त स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त हो चुकी है एवं 418 आवेदन-पत्र जाँच हेतु प्रक्रियाधीन है तथा 194 आवेदन-पत्र जाँचोपरान्त अपात्र पाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**